राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक: /रा.नि.आ.-2/1031 /2009

दिनांक 07/08/2009

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के आदेश संख्या-160/रा0नि0आ0-3/99 दिनांक 22 फरवरी, 1999 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया गया है।

1- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा समयक् विचारोपरान्त उक्त आदेश को आंशिक संशोधित करते हुए मै बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड उ0प्र0 पंचायतराज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम 3-1 के अंतर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को उनके जनपद के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित करता हूँ जो राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियन्त्रण और निर्देशन में इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

2- नियमावली के नियम-21 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली को पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त नियमावली के नियम 3 (2) के अधीन विकास खण्डों में तैनात खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी व अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियोजित कर सकेंगे। उक्त नियोजित व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियन्त्रण और निर्देशन में उक्त नियमावली के अनुसार अपने कृत्यों का पालन करेंगे। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अपने सम्पूर्ण विकास खण्ड के लिए समन्वयक और नियन्त्रक अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे तथा विकास खण्ड स्तर पर पुनरीक्षण संबंधी समस्त व्यवस्था स्थापित करेंगे।

3- राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत उपरोक्त अधिकारियों के उक्त कार्य पर निगरानी रखेंगे।

7/8/2009

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमशः..............2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945